



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092026-275903
CG-DL-E-01092026-275903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4614]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948

No. 4614]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

का.आ. 4801(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् - :

अनुसूची	
प्राधिकारी का नाम और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्रीमती एस. रेणुका, डिप्टी कलेक्टर, तमिलनाडु सरकार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन्स प्रभाग, दक्षिणी क्षेत्र पाइपलाइन्स, हाउस ऑफ़ फोर फ्रेम्स, 6/13, व्हीट क्रॉफ़्ट रोड, नंगमबक्कम, चेन्नई - 600034	तमिल नाडु राज्य एन्नोर-थिरुवल्लूर-बेंगलुरु-पुदुचेरी- नागापट्टिनम-मदुरै-तूतीकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन

इससे पूर्व तमिलनाडु राज्य में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए पहले अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी; एस.ओ. संख्या 1519(अ) दिनांक 03.04.2019 द्वारा अधिसूचित श्री थिरु जे. कन्नन, एस.ओ. संख्या 3555(अ) दिनांक 27.09.2019 द्वारा अधिसूचित श्री के. रवी, एस.ओ. संख्या 1048(अ) दिनांक 04.03.2021 द्वारा अधिसूचित श्री के.एस.ए. मोहम्मद जगीर हुसैन, एस.ओ. संख्या 1329(अ) दिनांक 24.03.2022 द्वारा अधिसूचित श्री वी. पलानीकुमार, एस.ओ. संख्या 4091(अ) दिनांक 13.09.2023 द्वारा अधिसूचित श्रीमती एस. बाग्यलक्ष्मी, एस.ओ. संख्या 4958(अ) दिनांक 26.10.2023 द्वारा अधिसूचित श्रीमती के. जयभारती तथा एस.ओ. संख्या 07(अ) दिनांक 30.12.2024 द्वारा अधिसूचित सुश्री आई. कनमानी को डी-नोटिफाइड समझा जाए।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं.एल-14014-77-2018-GP-II(E-41940)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2026

S.O. 4801(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Name and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Smt. S Renuka, Deputy Collector, Tamil Nadu Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division. Southern Region Pipelines, House of Four Frames, 6/13, Wheat Croft Road, Nungambakkam, Chennai - 600034	State of Tamil Nadu Ennore–Thiruvallur–Bengaluru– Puducherry–Nagapattinam– Madurai–Tuticorin Natural Gas Pipeline

Earlier notified Competent Authority for Indian Oil Corporation Limited in Tamil Nadu State; Sh. Thiru J Kannan, notified vide SO No. 1519(E) dated 03.04.2019; Shri K Ravi, notified vide SO No. 3555(E) dated 27.09.2019; Shri K.S.A. Mohamed Jaghir Hussain, notified vide SO No. 1048(E) 04.03.2021; Shri V Palanikumar, notified vide SO No. 1329(E) dated 24.03.2022; Smt. S Bagyalakshmi, notified vide SO No. 4091(E) dated 13.09.2023; Smt. K Jayabharathi, notified vide SO No. 4958(E) dated 26.10.2023 and Ms. I Kanmani, notified vide SO No. 07(E) dated 30.12.2024 stand de-notified.

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014-77-2018-GP-II(E-41940)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.